

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम जोधपुर

मोहन कंवर


बनाम्

हरीसिंह व अन्य

केस मुकदमा - आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. 1908

मुकदमा संख्या - C/37/2025

जीसीएमएस नं 2025/238

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19.08.2025	<p>प्रार्थनी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. 1908 के तहत अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थनी की ओर से अधिवक्ता अनिल राठी उपस्थित। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली आयन्दा दिनांक 15.09.2025 को पेश हो।</p>	
	<p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर </p>	
15/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पोस्टल कार्यालय पत्रावली में आज कोई प्रमाणी कार्यवाही नहीं होने के कारण होने से इतना होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक को पेश हो।</p>	<p style="text-align: right;">13/10/25</p>
13/10/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थनी उपस्थित। वदल अधिवक्ता प्रार्थनी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता की वदल पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वादीनी/प्रार्थनी अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण को उचित, भूमि युक्त एवं सद्भावितक तरीक होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मोहन कंवर / हरीसिंह व अन्य</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तामील में जारी</p>
	<p>सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर मूलवाद सं. P/37/2025 बढानवान् मोहनकंवर बनाम् हरीसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 188 राज. काष्ठ. अधि. 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को पुनः नम्बर पर ली जाती है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम लेकर दाखिल दफ्तर ही।</p> <div data-bbox="399 693 658 945" style="text-align: center;"> </div> <div data-bbox="858 693 1046 861" style="text-align: right;"> <p>18/</p> <p>सदस्य: व मोहन कंवर</p> </div> <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">25/11/25</p>	